भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1270

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

श्रम कानूनों का सरलीकरण, प्रवर्तन और तकनीकी सुदृढ़ीकरण

†**1270.श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**

श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रम कानूनों को सरल और समेकित करने में सरकार द्वारा अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है, साथ ही देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, राज्य-वार उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) महाराष्ट्र के जलगाँव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे जिलों में संचालित उद्योगों और एमएसएमई समूहों सहित, प्रमुख उद्योगों और एमएसएमई समूहों में श्रम नियमों के सख्त प्रवर्तन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) निरीक्षण प्रणालियों, शिकायत निवारण तंत्रों और श्रमिक सुरक्षा ढाँचों को मजबूत करने, विशेषकर असंगठित और संविदा श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) श्रम कानून प्रवर्तन की प्रभावी निगरानी के लिए ऑनलाइन अनुपालन पोर्टल, एकीकृत निरीक्षण प्रणाली, एआई-सक्षम जोखिम मूल्यांकन और डिजिटल डैशबोर्ड जैसे प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरणों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार जलगाँव सहित महाराष्ट्र में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने और कार्यबल के लिए कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए कोई विशिष्ट पहल कर रही है, यदि हाँ,, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): केंद्र सरकार ने मौजूदा **29** केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के समामेलन**,** सरलीकरण और युक्तिकरण करने के पश्चात चार श्रम संहिताएँ**,** नामतः वेतन संहिता**, 2019,** औद्योगिक संबध संहिता**, 2020,** सामाजिक सुरक्षा संहिता**, 2020** और व्यावसायिक सुरक्षा**,** स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता**, 2020,** तैयार की हैं। उपर्युक्त चार श्रम संहिताएँ महाराष्ट्र सहित पूरे देश में दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई हैं।

जारी/-2

(ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों जैसे कि सीएलसी (के.), ईएसआईसी, ईपीएफओ, रोजगार महानिदेशालय (डीजीई), कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई), खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएसएस) को केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों में श्रम कानूनों के प्रवर्तन और अनुपालन का अधिदेश सौंपा गया हैं। किसी भी हितधारक से प्राप्त हुई किसी भी शिकायत/कम्पलेंट के मामले में, संबंधित प्रवर्तन प्राधिकारी उचित कार्रवाई आरंभ करता है।

(ग) और (घ): निरीक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक योजना लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कवर किए गए संस्थापनों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है ताकि विभिन्न श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, फील्ड लेवल डेटा और शिकायतों को एकत्रित और विश्लेषित करने के लिए केंद्रीय विश्लेषण और आसूचना इकाई (सीएआईयू) स्थापित की गई है, ताकि श्रम कानूनों के उचित प्रवर्तन के लिए आवश्यकता के आधार पर निरीक्षण किया जा सके।

शिकायत निवारण के संबंध में, औद्योगिक विवादों और रोजगार से संबंधित शिकायतों का निपटान करने के लिए एक एकल, पारदर्शी और प्रभावी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराते हुए कामगारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए समाधान पोर्टल जैसी आईटी पहलों का विकास किया गया है। इसके अलावा, कामगार केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से भी अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह एक ऐसा एकल पोर्टल है जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक मंत्रालय और राज्यो को इस प्रणाली में भूमिका-आधारित पहुँच हैं।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय में शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल ने दक्षता सुधारने, विलंब कम करने तथा पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पोर्टल को पंजीकरण, लाइसेंस, रैंडमाइज्ड जोखिम आधारित निरीक्षण, रिटन भरने आदि को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया है तथा नियोक्ता और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच एकल संपर्क बिंदु के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो उनके दैनिक इंटरेक्शन में पारदर्शिता लाता है।

(ङ) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत लाभों का विस्तार महाराष्ट्र सहित सभी सेक्टरों/ क्षेत्रों के सभी कामगारों तक किया गया है। उपर्युक्त संहिता में परिकल्पित कुछ प्रमुख प्रावधान अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं: -

(i) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित सभी प्रकार के कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा लाभ का विस्तार।

(ii) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए योजनाएँ बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना।

*****